न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 56 / 2023
GCMS No. - 2023/94
निर्णय दिनांक : 14.03.2024

गेनाराम पुत्र मनसुख राम जाति मेघवाल निवासी आलाय तहसील व जिला नागौर राजस्थान

................वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र बिशना जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज.
2. जय श्री पुत्र मोहन जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
3. पतासी पुत्री नारायण जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
4. प्रकाश पुत्र तुलछाराम जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
5. बनाराम पुत्र प्रकाश जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
6. बाबूलाल पुत्र परता जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
7. भंवरलाल पुत्र तुलछाराम जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
8. मुकेश पुत्र तुलछाराम जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
9. मन्जु पुत्री तुलछाराम जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
10. महावीर पुत्र बिशना जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
11. मानाराम पुत्र मोहन जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
12. मोहनी पत्नी मोहन जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
13. रूकमणी पुत्र महादेवा जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
14. रामूराम पुत्र बिशना जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
15. लालाराम पुत्र महादेवा जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
16. श्रवण पुत्र परता जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
17. शिकोरी पत्नी परताराम जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
18. सुगनी पत्नी महादेवा जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
19. संतु पुत्र बिशना जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
20. सुन्दर पत्नी तुलछाराम जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
21. सम्पत पुत्र महादेवा जाति ढोली निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राज
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

.................प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 15:41:34 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत खातेदारी भूमि विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा

उपस्थित :–

1. श्री रमेश बिस्सु एडवोकेट वादी
2 प्रतिवादी संख्या 01 व 21 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3. प्रतिवादी संख्या 22 राज पैरोकार
4. राज पेरोकार उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ग्राम आलाय व प्रतिवादीगण ग्राम कानूता एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1460/387 रकबा 1.1922 हैक्टेयर वाके रोही कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित चली आ रही है जिसमें वादी का 2168/5961 हिस्सा अविभाजित चला आ रहा है। जिसका वादी विभाजन करवाना चाहता है। वाद वादी न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादी के हिस्सा, कब्जा व मौकानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया था जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने विभाजन प्रस्तुत तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 1460/387 रकबा 1.1922 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता में 2168/5961 हिस्सा पांति का रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज स्थित है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव भी वादी उतने ही हिस्सा पांति पर काबिज काश्तकार है।

एक रिकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी विभाजन की हद तक अन्तिम रूप से डिक्री तथा चिरनिषेधाज्ञा की हद तक खारीज किया जाना उचित समझता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 22 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 1460/387 रकबा 1.1922 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का वादी गेनाराम का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अनुसार [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी संख्या 22 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 15:41:34 IST
Reason: SelfAttested

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

व इजलास **ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

गेनाराम बनाम जगदीश आदि

दावा बाबत खातेदारी भूमि विभाजन

मुकदमा न0 56 सन 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री रमेश बिस्सु एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है

कि दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 22 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 1460/387 रकबा 1.1922 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का वादी गेनाराम का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अनुसार हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा।

चीज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 **माह 03. 2024**

दस्तखत ....

मुहर

ओहदा ....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक मीजान			[illegible] मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 15:41:34 IST
Reason: SelfAttested

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये